UPLK010160752018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

विशेष परीक्षण संख्या 333/2018

सरकार बनाम राजेश कुमार भारद्वाज आदि

मु0अ0सं0 130/2018
अंतर्गत धारा–323,452,504,506 भा0दं0सं0
एवं धारा 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बाजारखाला, जिला– लखनऊ।

दिनांक–16.04.2024

आवेदकगण/अभियुक्तगण राजेश कुमार भारद्वाज व बृजेश कुमार भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227/228 दं0प्र0सं0 दिनांकित 07.12.2021 पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विशेष परीक्षण संख्या 333/2018 मु0अ0सं0 130/2018 अंतर्गत धारा–323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, थाना–बाजारखाला, जनपद लखनऊ में अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.12.2021 इस याचना के साथ दिया गया है कि अभियुक्तगण को विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोपित वर्णित अंतर्गत धारा 323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के आरोप में उन्मोचित किया जाये।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन हेतु यह आधार लिया गया है कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादिनी के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, मजरूब के बयान एवं वादिनी के मजीद बयानों के अवलोकन से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द,ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध वादिनी मुकदमा द्वारा अपने पति प्रकाश गौतम के साथ मिलकर साजिशन गलत मुकदमा चलाया जा रहा है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त वाद में नामजद नहीं है। वादिनी द्वारा अपने व अपने परिवार के साथ सैकड़ों गंभीर घटनाओं का होना बताया गया है, परंतु वे घटनाएं कब और क्या हुई, यह बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। वादिनी द्वारा अपने एफ0आई0आर0, अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान व अपने मजीद बयान में मा. जातिसूचक गालियां देना कहा गया है, परंतु यह कहीं भी नहीं बताया गया ह`कि क्या गालियां दी गयी, किसके सामने गालियां दी गयी। वादिनी द्वारा उपरोक्त वाद में स्वयं स्वीकार किया है कि उसका और आवेदकगण/अभियुक्त के साथ मकान का विवाद है,

इसी कारण परेशान करने व उत्पीड़न करनते हुए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें मामले से उन्मोचित किया जाये।

वादिनी की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र आपत्ति दाखिल करते हुए यह कथन किया गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। वादिनी मुकदमा लिखित प्रार्थना पत्र पर सत्य तथ्यों/घटनाओं के आधार पर दिया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा तथा उसके परिवार के साथ कई बार घटनाएं कारित की गयी। वादिनी मुकदमा द्वारा विभिन्न तिथियों पर थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वादिनी मुकदमा ने उपरोक्त वाद में दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी को अभियुक्तगण का नमा बताया है। तहरीर सत्य घटनाओं पर आधारित है। अतः अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गय है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी के पर्चा नं0 1 में वादिनी मुकदमा फूलमती गौतम का बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया है, जिनके द्वारा घटना का पूर्णतः समर्थन किया गया है। केस डायरी के पर्चा नं0 4 में वादिनी का मजीद बयान अंकित किया गया तथा इसी पर्चे में मजरूब/वादिनी के पति प्रकाश गौतम, स्वतंत्र साक्षी कु0 सलमा, साक्षी दुर्गा कान्त मिश्र का बयान अंकित किया गया है, जिसमें साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया गया है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा मु0अ0सं0 130/2018 अंतर्गत धारा–323, 504, 452 भा0दं0सं0 थाना–बाजारखाला में अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराई गयी है और गवाहों का बयान अंकित किये जाने व अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात् बाद विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राजेश कुमार भारद्वाज व बृजेश कुमार भारद्वाज के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफॅ पंजाब (2014)3 एस0सी0सी0 92*** में प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी मामले में आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या पत्रावली पर इस प्रकार का साक्ष्य आदि उपलब्ध है, जिससे युक्तियुक्त रूप में यह स्पष्ट होता हो कि आरोपित किये जाने वाले अपराध में अभियुक्त संलिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अन्य किसी तथ्य की जांच नहीं की जानी है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या अपराध में संलिप्तता रही है तो उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार होगा।

हेमचन्द बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए.आई.आर.2008 एस.सी. 1903 इस

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को सीमित क्षेत्राधिकार होता है। इस स्तर पर न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं। इसी मामले में आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि चार्ज के स्टेज पर केवल और केवल विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों को ही पढ़ा जायेगा। अभियुक्त/बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किया गया अभिलेखीय साक्ष्य पठनीय नहीं होगा। **Onkar Nath Mishra and others Vs. State of Delhi and others (2008) SCC (Criminal) Page 507** by the Hon'ble Supreme Court that at the stage of framing of charge the court is required to evaluate the materials and documents on record with a view to finding out if the facts emerging there from, taken at their face value, disclosed the existent of all the ingredients constituting the alleged offence. What need to be considered is whether there is ground for presuming that the offence has been committed and not a ground for convicting the accused has been made out. At the stage, the court is expected to go deep into the provative value of the material on record of the court not is required to appreciate evidence to conclude whether the material produced are sufficient are not for convicting the accused of the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true the stage. At that stage, even strong suspicious found on material which leads the court to form presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offence alleged would justify the framing of charge against the accused in-respect of the commission of the offence.

प्रस्तुत मामले में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी, मजरूब, व स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अपने–अपने बयानों अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में स्पष्टतः घटना का समर्थन किया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से स्वयं को निर्दोष होने एवं उसके द्वारा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन किया गया है। इन सभी कथनों व तथ्यों के संदर्भ में अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्ष्य जब पत्रावली पर आ जायेंगे, तभी उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया जा सकता है। आरोप के स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के घटना में संलिप्त न होने के संबंध में लिये गये बचाव पर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि दौरान विवेचना वादिनी एवं साक्षियो ने धारा 161 दं0प्र0सं0 में जो बयान विवेचक को दिये हैं, उनमें अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में कथन किया है, जिसको इस स्तर पर अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, इस स्तर पर उनके बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर केवल यह देखा जाना होता है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना जिन साक्ष्यों का संकलन किया गया है, उनके आधार पर प्रथम दृष्ट्या आरोप विरचित किये जाने और विचारण आरंभ किये जाने का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं। प्रस्तुत मामले में

विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलन दौरान विवेचना किया गया है, उनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

इस तरह उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुशीलन के उपरान्त यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवदेकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 452 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट आरोप बनाये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.12.2021 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राजेश कुमार भारद्वाज व बृजेश कुमार भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 दिनांकित 07.12.2021 पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 01.05.204 को पेश हो।

विशेष न्यायाशीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

दिनांक–16.04.2024